संचिका सं0–10/यो0–1–01/2015 (पार्ट) 1133 (10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

वित्त विभाग से परामर्शित

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 06/12/2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में NHM अन्तर्गत National TB Control Programme under Flexible Pool for Communicable Diseases एवं Flexible Pool for Communicable Diseases for SCSP (Scheduled Castes Sub Plan) मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 21,23,00,000/– एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 14,15,33,333 अर्थात् कुल रुपये 35,38,33,333/–(पैंतीस करोड़ अड़तीस लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस) सहायक अनुदान राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति ।

आदेशः स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से विमुक्त राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत National TB Control Programme under Flexible Pool for Communicable Diseases एवं Flexible Pool for Communicable Diseases for SCSP (Scheduled Castes Sub Plan) मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 21,23,00,000/– एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 14,15,33,333 अर्थात् कुल रुपये 35,38,33,333/–(पैंतीस करोड़ अड़तीस लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस) सहायक अनुदान राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है ।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक–3663, दिनांक–05.10.2017 एवं पत्रांक–3323, दिनांक–18.09.2017 के द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अंतर्गत Health Strenthening under NRHM एवं RCH Flexible Pool में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु अनुमोदित बजट के अनुरूप केन्द्रांश मद में रुपये 21,23,00,000/– एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 14,15,33,333 अर्थात् कुल रुपये 35,38,33,333/–(पैंतीस करोड़ अड़तीस लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस) विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है । वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :–

National TB Control Programme under Flexible Pool for Communicable Diseases under NHM

S.N	Letter no & date	Amount (Central Shares) 60%	State Shares 40%	Total
1	G.27034/37/2017-NHM-F(E) dated-04-08-2017	203300000	135533333	338833333
2	G.27034/37/2017-NHM-F(E) dated-04-08-2017	9000000	6000000	15000000
	Total-	212300000	141533333	353833333

3. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधोलिखित उपशीर्षों अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगाः–

(क) केन्द्रांशः–

(i) मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं–0209–एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–विपत्र कोड–20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–(31 06)– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद् में रुपये 2,99,55,95,000/– (दो अरब निन्यानवें करोड़ पचपन लाख पन्चानवें हजार) में से कुल रुपये 21,23,00,000/–(इक्कीस करोड़ तेइस लाख) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

(ख) राज्यांशः–

(i) मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–उप शीर्ष–0309–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–(31 06)– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद् में रुपये 1,99,70,64,000/– (एक अरब निन्यानवें करोड़ सत्तर लाख चौसठ हजार) में से कुल रुपये 14,15,33,333/–(चौदह करोड़ पन्द्रह लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगें और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगें ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता–PLA-263 विपत्र कोड–K8448001200027 में सुलभ करायेंगें । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगें।

6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0–8244, दिनांक–02.08.2010 की कंडिका–2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/यो0–1–01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ–85/टि0 पर प्राप्त है ।

10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।

11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/12/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–10/यो0–1–01/2015 (पार्ट)–.......1133........(10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 06/12/2017

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0–331–सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी सिविल सर्जन को ई–मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5/12/17

सरकार के विशेष सचिव ।